न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं03,उन्नाव
सत्र परीक्षण सं0 75/2018,
सरकार बनाम भुल्लू

अपराध सं0 70/2016,
धारा 60आबकारी अधि0 व
272 भा0दं0सं0
थाना–बांगरमऊ, जिला–उन्नाव।

<u>आरोप</u>

मैं, अल्पना सक्सेना अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 3, उन्नाव, एतद्व द्वारा आप– **भुल्लू**

के विरूद्ध निम्न आरोप विरचित करती हूँ:–

<u>प्रथमः–</u> यह कि दिनांक 19.03.2016 समय 16.30 बजे बहद स्थान–बल्लापुर से चौराहा जाने वाला मार्ग थाना बांगरमऊ, जनपद उन्नाव के अन्तर्गत पुलिसपार्टी के द्वारा अन्य अभियुक्तों के साथ कच्ची शराब बेचते हुए पकड़े जाने पर आपके कब्जे से 16 लीटर तरल पदार्थ (कच्ची शराब) एवं 150 ग्राम यूरियां खाद बरामद हुई । आप कच्ची शराब बेचने का लाईसेंस दिखाने में आप कासिर रहे। इस प्रकार आपने **धारा– 60 आबकारी अधिनियम** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ।

<u>द्वितीयः–</u> यह कि उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अवैध कच्ची शराब में यूरियां खाद्य मिलाकर इस आशय से तथा यह जानते हुए बेचते थे कि वह पेय पदार्थ के रूप में बेची जायेगी। इस प्रकार आपने शराब में यूरियां खाद्य मिलाकर ऐसा अपमिश्रण का कार्य किया कि वह पेय पदार्थ के रूप में अपायकर बन जायेगी। इस प्रकार आपने ऐसा कार्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा–272 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्व द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप में आप का परीक्षण इसी न्यायालय के द्वारा किया जाये ।

दिनांक 03.01.2022

(अल्पना सक्सेना)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं03,
उन्नाव।

आरोप अभियुक्त उपरोक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिसे उसने इंकार किया तथा परीक्षण चाहा ।

दिनांक 03.01.2022

(अल्पना सक्सेना)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं03,
उन्नाव।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं03,उन्नाव
सत्र परीक्षण सं0 75/2018,
सरकार बनाम भुल्लू

अपराध सं0 70/2016,
धारा 60आबकारी अधि0 व
272 भा0दं0सं0
थाना–बांगरमऊ, जिला–उन्नाव।

03.01.2022

प्रार्थी/अभियुक्त भुल्लू सिंह की ओर से प्रार्थनापत्र वारण्ट रिकाल किये जाने हेतु इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वह बीमार पड़ जाने ताा कोविड–19 लांकडाउन के चलते नहीं आ सका था । उसने यह गैर हाजिरी जानबूझकर नहीं की है । भविष्य में बराबर आता रहेगा । अतः वारंट निरस्त किये जाने की याचना की गई है । तथा साथ में बीमारी के सम्बन्ध में दिनांक 09.12.2021 सामुदायिक स्वास्थ्य क्रेन्द्र बांगरमऊ,उन्नाव का बाह रोगी टिकट दाखिल किया गया है ।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

अभियुक्त दिनांक 31.01.2018 को सत्र न्यायालय में पत्रावली कमिटल हेतु सुपुर्द किये जाने के उपरान्त लगभग तीन वर्षो में अनेक तारीख पेशी दिये जाने के पश्चात न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ । उक्त दिनांक से पत्रावली निरन्तर चार्ज हेतु नियत होती रहीं परन्तु अभियुक्त के उपस्थित न आने के वजह से उसके विरूद्ध चार्ज विरचित नहीं किया जा सका । अभियुक्त के द्वारा दिनांक 09.12.2021 सामुदायिक स्वास्थ्य क्रेन्द्र बांगरमऊ,उन्नाव का बाह रोगी टिकट दाखिल किया गया है, जो कि अद्यतन है । अतः अभियुक्त के विरूद्ध जारी एन0बी0डब्लू0 को निरस्त किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है । तदनुसार प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है । अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये ।

चूँकि अभियुक्त आज न्यायालय के समक्ष हाजिर है । अतः आरोप पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 को सुनकर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 60आबकारी अधि0 व 272 भा0दं0सं0 विरचित किया गया है । आरोप से अभियुक्त के द्वारा इंकार किया गया तथा परीक्षण की याचना की गई ।

वाद दिनांक 31.01.2022 को वास्ते साक्ष्य पेश हो । नियत तिथि के लिए साक्षीगण तलब हो ।

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0 3,उन्नाव।
03.01.2022